न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण सख्या : 56/2018

1. रोहित(नाबालिग) पुत्र बद्रीलाल जाति मीना निवासी धूमरखेडी तहसील मांगरोल जिला बारां राज0 जर्ये वली माता स्वयं मनभर बाई पत्नि श्री बद्रीलाल जाति मीना निवासी धूमरखेडी
2. समीर (नाबालिग) पुत्र बद्रीलाल जाति मीना निवासी धूमरखेडी तहसील मांगरोल जिला बारां राज0 जर्ये वली माता स्वयं मनभर बाई पत्नि श्री बद्रीलाल जाति मीना निवासी धूमरखेडी

...वादीगण

♠ बनाम ♠

1. बद्रीलाल पुत्र रामनिवासी जाति मीना निवासी धूमरखेडी तह0 मांगरोल
2. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बारां
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादीगण : श्री श्याम पारेता
दायरा दिनांकः 22.06.2018 निर्णय दिनांक : 29.08.2018

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण प्रतिवादी क्रम 1 की जायज सन्तान है जो वर्तमान में नाबालिग है। प्रतिवादी क्रम 1 के खाते की आराजी खाता संख्या 47 खसरा नं0 198 रकबा 1.47 है0 खसरा नं0 201 रकबा 2.45 है0 कुल किता 2 रकबा 3.92 है0 वाके ग्राम धूमरखेडी में स्थित है जो वाद में आगे विवादित आराजी के नाम से संबोधित किय गया है। उक्त आराजी प्रतिवादी क्रम 1 को विरासत में प्राप्त हुयी है। वादीगण का उपरोक्त विवादित आराजी में पैतृक हक अधिकार होने से हिस्सा 1/3–1/3 का अधिकार है जो वादीगण प्रतिवादी क्रम 1 से प्राप्त करने के अधिकारी है इसलिये विवादित आराजी में वादीगण को हिस्सा 1/3–1/3 का खातेदार कृषक घोषित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः आराजी खाता संख्या 47 खसरा नं0 198 रकबा 1.47 है0 खसरा नं0 201 रकबा 2.45 है0 कुल किता 2 रकबा 3.92 है0 वाके ग्राम धूमरखेडी में स्थित में वादीगण को हिस्सा 1/3–1/3 का खातेदार घोषित किया जाकर खाते दर्ज की जावे तथा प्रतिवादी क्रम 1 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह वादीगण के हिस्से की आराजी में किसी प्रकार की दखलअंदाजी ना तो स्वयं करें और ना ही अपने प्रतिनिधि से करावें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 22.06.2018 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया जिसकी तामिली प्रति शामिल फाईल है। प्रतिवादी क्रम

की ओर से अधिवक्ता श्री दया कृष्ण धाकड ने वकालत नामा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी कम 1 द्वारा दिनांक 29.08.2018 को मजमे आम में उपस्थित होकर राजीनाम प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया राजीनामा अनुसार ग्राम धूमरखेडी की आराजी खाता संख्या 47 खसरा नं0 198 रकबा 1.47 है0 खसरा नं0 201 रकबा 2.45 है0 कुल किता 2 रकबा 3.92 है0 में वादीगण कम 1, 2 व प्रतिवादी कम 1 का हिस्सा 1/3–1/3–1/3 दर्ज किये जाने में वादीगण व प्रतिवादी कम 1 को किसी प्रकार की आपत्ति नही है।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन, मनन व अध्ययन किया गया। प्रकरण में दिनांक 29.08.2018 को वादीगण के अधिवक्ता व प्रतिवादी कम 1 के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अतः सुनी गयी बहस तथा वादीगण व प्रतिवादी कम 1 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम धूमरखेडी की आराजी खाता संख्या 47 खसरा नं0 198 रकबा 1.47 है0 खसरा नं0 201 रकबा 2.45 है0 कुल किता 2 रकबा 3.92 है0 आराजी में वादीगण कम 1 व 2 को हिस्सा 1/3–1/3 का खातेदार व प्रतिवादी कम 1 को हिस्सा 1/3 का सामुहिक खातेदार कृषक घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी कम 1 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कर आदेशित किया जाता है कि ग्राम धूमरखेडी की आराजी खाता संख्या 47 खसरा नं0 198 रकबा 1.47 है0 खसरा नं0 201 रकबा 2.45 है0 कुल किता 2 रकबा 3.92 है0 आराजी में वादीगण कम 1 व 2 का हिस्सा आराजी को रहन, बैचान व किसी प्रकार से खुर्द–बुर्द नही करें और ना ही अपने प्रतिनिधि से करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर ह

निर्णय आज दिनांक 29.08.2018 को सरेईजलास मजमेंआम में सुनाया ग